<u>प्रेस नोट</u>

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के पत्र संख्या 879(2)/ न्याय – सहायक दिनांक 17.10.2020 के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 17.11.2020 को तहसीलदार सगड़ी श्री विजेन्द्र कुमार उपाध्याय लेखपाल अभिमन्यु राम व मय राजस्व टीम व प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी, व0उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह कर्मचारीगण के साथ ग्राम खर्रारास्तीपुर में उत्तर प्रदेश के टाप टेन व दुर्दान्त अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ की अवैध सम्पत्ति को कुर्क करने के सम्बन्ध में निम्न अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया। 1. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/8 रकवा 0.753 हे0 जो ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रूद्रप्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 16,56,600.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 2. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/4 रकवा 1.506 हे0 जो अभियुक्त की पत्नी वन्दना सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर जनपद आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 33,13,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 3. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 7/24 रकवा 1.757 हे0 जो अभियुक्त की भाभी किरन सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 38,65,400.00 रूपया

निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 4. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे अभिषेक पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। 5. गाटा सं0 126 रकवा 6.024 हे0 में अंश 1/24 रकवा 0.251 हे0 जो अभियुक्त के भतीजे कुलदीप पुत्र स्व0 अशोक निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के नाम से अंकित है जिसका निर्धारित सर्किल रेट से उक्त सम्पत्ति का मूल्य 5,52,200.00 रूपया निर्धारित किया गया है, को कुर्क किया गया। कुर्क की गयी सम्पत्ति का मूल्य 99,39,600.00 रूपया व कुल 21 बीघा जमीन है। उक्त सभी कुर्क किये गये सम्पत्ति के प्रशासन के तरफ से प्रशासक श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी होगें।